प्रेस विज्ञप्ति

उ0प्र0 शासन द्वारा **एक जनपद एक उत्पाद(ODOP)** कार्यकम के अन्तर्गत **वित पोषण हेतु सहायता योजना** संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिला चित्रकूट में एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत **काष्ठ कला उत्पाद (लकड़ी के खिलौनें)** का चयन किया गया है। योजनान्तर्गत प्रमुख बिन्दु निम्नवत है।

पात्रता की मुख्य शर्तें :-

(1) आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहियें।

(2) शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।

(3) योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित पोषण में सहायता की सुविधा संम्बन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद **काष्ठ कला उत्पाद (लकड़ी के खिलौनें)** की इकाईयों को ही प्राप्त होगीं।

योजना का वित पोषणः-

-रूपया 25 लाख तक की परियोजना लागत की इकाईयों हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी(अनुदान) के रूप में देय होगी। रूपया 25.00 लाख से अधिक की परियोजना लागत पर भिन्न-भिन्न दरों में मार्जिन मनी(अनुदान) देय होगा। योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

आवेदन पत्र कार्यालय **जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, चित्रकूट से दिनांक** 22.07.2019 तक किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त एवं जमा किया जा सकता है। आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को आधार, निवास, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं शपथ-पत्र संलग्नकर जमा करना होगा।

उप आयुक्त उद्योग
चित्रकूट

कार्यालयः- उप आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, चित्रकूट

पत्रांक- 226(7) /जि0उ0के0(चित्र0)/ओ0डी0ओ0पी0 ऋण/2019-20 दिनांकः- 17.7.19

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2-मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चित्रकूट को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

3-अग्रणी जिला प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, कर्वी चित्रकूट।

4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC),चित्रकूट को इस आशय से प्रेषित कि जिले की वेबसाइट/सम्बन्धित वेबसाइट पर सूचना को प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

5-जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को 08 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रेस-विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कृपा करें।

6-श्री उमाशंकर/अजय प्रसाद/नीरज गुप्ता, फील्ड सहायक।

7- कार्यालय नोटिस बोर्ड।

उप आयुक्त उद्योग
चित्रकूट

प्रेस विज्ञप्ति

नयी इकाई के स्थापनार्थ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2019–20 के अन्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र की अनुमन्य परियोजना की अधिकतम लागत रू0 25.00 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र की अनुमन्य परियोजना की अधिकतम लागत रू0 10.00 लाख तक के आवेदन पत्र **आनलाइन** आमंत्रित किया जाता है। अभ्यर्थी को उक्त आवेदन वेबसाइट – **www.kviconline.gov.in** पर **आनलाइन** करना होगा। **किसी भी दशा में मैनुअल रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।**

मुख्य बिन्दु–

योजना का नाम– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

आनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट– www.kviconline.gov.in
(कृपया वेबसाइट का नाम भी प्रकाशित कराने का कष्ट करें)
आयु– न्यूनतम 18 वर्ष

आवेदन की अन्तिम तिथि– दिनांक 20.07.2019

(एस0के0केशरवानी)
उपायुक्त उद्योग
चित्रकूट

कार्यालयः– उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, चित्रकूट

पत्रांक– 222 /जि0उ0के0(चित्र0)/पी0एम0ई0जी0पी0/2019–20 दिनांकः– 15-07-19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट को सादर अवलोकनार्थ।

2–जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को 08 प्रतियों में प्रेस–विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।

3–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC), चित्रकूट को इस आशय से प्रेषित कि जिले की वेबसाइट/सम्बन्धित वेबसाइट पर सूचना को प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

4– अग्रणी जिला प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक कर्वी, चित्रकूट को विज्ञप्ति बैंकों को ई–मेल कराने हेतु।

5– फील्ड कर्मचारीगण जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवण्टित क्षेत्र में योजना का प्रचार–प्रसार करते हुये आनलाइन आवेदन–पत्र भरवायें।

6– कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

उपायुक्त उद्योग
चित्रकूट

प्रेस विज्ञप्ति

उ0प्र0 शासन द्वारा **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना(MYSY)** वित्तीय वर्ष 2019–20 के अर्न्तगत नयी इकाई के स्थापनार्थ उद्योग क्षेत्र की रूपया 25 लाख तक की एवं सेवा क्षेत्र की रूपया 10 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों को ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

आवेदक की **आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष** के मध्य होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता **हाईस्कूल अथवा समकक्ष** उर्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन पत्र कार्यालय **जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, चित्रकूट से दिनांक 25.07.2019** तक किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त एवं जमा किया जा सकता है। आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को आधार, निवास, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं शपथ–पत्र संलग्नकर जमा करना होगा।

(एस0के0 केशरवानी)
उपायुक्त उद्योग
चित्रकूट

कार्यालयः– उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, चित्रकूट

पत्रांक 203 /जि0उ0के0(चित्र0)/मु0यु0स्व0यो0/2019–20 दिनांकः– 11-07-19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट को सादर अवलोकनार्थ।

2–जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को 08 प्रतियों में प्रेस–विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।

3–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC), चित्रकूट को इस आशय से प्रेषित कि जिले की वेबसाइट/सम्बन्धित वेबसाइट पर सूचना को प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

4– अग्रणी जिला प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक कर्वी, चित्रकूट को विज्ञप्ति बैंकों को ई–मेल कराने हेतु।

5– फील्ड कर्मचारीगण जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवण्टित क्षेत्र में योजना का प्रचार–प्रसार करते हुये आनलाइन आवेदन–पत्र भरवायें।

6– कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(एस0के0 केशरवानी)
उपायुक्त उद्योग
चित्रकूट